घर-घर
औषधि योजना

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प0 1(20)वन/2003 जयपुर, दिनांक :– 02.12.2021

परिपत्र

खनन हेतु जारी किये जाने वाले पट्टे को वन क्षेत्र जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित वन क्षेत्र, वैधानिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र या राजकीय दस्तावेज में वन दर्ज भूमि चाहे उसका मालिकाना हक किसी का भी हो, की वस्तुस्थिति की जानकारी देने में वन विभाग से अनपेक्षित विलंब नहीं हो इसकी सुनिश्चितता के लिए विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिशिचित की जावे :–

1. खान विभाग के आवश्यकतानुसार 1:50000 अथवा अन्य स्केल की अध्यतन/नवीनतम जी0टी0 शीट/टोपोशीट जिसमें वन भूमि व ईको सेन्सिटिव जोन क्षेत्र की परिधि दर्शायी गयी हो को वन विभाग के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जावे एवं जिसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर अध्यतन किया जावें। ईको सेन्सीटिव जोन क्षेत्र से तात्पर्य है कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान से सीमाओं से अधिसूचित क्षेत्र अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित वन्य जीव अभ्यारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान से 10 किमी0 क्षेत्र।

2. जी0टी0 शीट/टोपोशीट के प्रमाणीकरण के उपरान्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा गैर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण के माध्यम से विकसित क्षेत्रों के एवं वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बाबत वन विभाग को आवंटित वन भूमि की सूचना खान विभाग को उपलब्ध कराई जावें।

3. खनिज अभियन्ता/ सहायक खनिज अभ्यिान्ता द्वारा खनन पट्टा हेतु भूमि चयन करतें समय वन विभाग द्वारा प्रमाणित जी.टी.शीट्स जिसमें वन भूमि एवं ईको सेन्सीटिव जोन दर्शायी गयी है व ऊपर वर्णित सूचियों को देखकर यह विनश्चियन किया जावे कि प्रस्तावित भू–स्थल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि या ईको सेन्सिटिव जोन के 500 मीटर की परिधि में आता है या नहीं। प्रस्तावित भू–स्थल (खनन क्षेत्र) वन भूमि या ईको सेन्सिटिव जोन के 500 मीटर की परिधि में आता है तो प्रकरण वन विभाग को FMDSS के माध्यम से प्रस्तुत किये जावें।

4. उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रतिवेदन का निर्धारित समय–सीमा 15 दिवस में अग्रेषित करना सुनिश्चित किया जावें। निर्धारित समय–सीमा में पालना करवाने के लिए संभागीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर समीक्षा किया जावे।

5. उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के साथ बैठक आयोजित की जावें जिसमें आवश्यकतानुसार संयुक्त निरीक्षण निश्चित किया जावे। मौका निरीक्षण करते समय प्रस्तावित क्षेत्र का जी.पी.एस. कोर्डीनेट तथा KML File के अनुसार विनिश्चयन सुनिश्चित किया जाने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उसका ब्यौरा दिया जावे।

OSD Hindi letter

6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र वन सीमा से 100 मीटर तक की दूरी में या उससे लगते हुए अवस्थित है तो ऐसी स्थिति में खान एवं वन विभाग के अधिकरीयों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करना तथा आवेदित क्षेत्र के सीमा विवरण अनुसार मौके पर जी0पी0एस0 कोर्डीनेट अंकित सीमा स्तभों का निर्माण करवाया जाना अनिवार्य होगा। मौका निरीक्षण के दौरान ऐसे क्षेत्र के मीनारों की स्थिति की फोटोग्राफी (जिसमें पिलर व संयुक्त टीम को भी दर्शाया गया हो), की जावें एवं फोटोग्राफ मय जी0पी0एस0 कोर्डीनेट की एक प्रति खान विभाग एवं एक प्रति वन विभाग में संधारित की जावें।

7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र, वन सीमा से 100 मीटर की परधि में प्रस्तावित की गयी है तो इसका निरीक्षण सहायक वन संरक्षक या उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा यदि प्रस्तावित खान वन सीमा से 50 मीटर के भी प्रस्तावीत की गयी है तो उसका निरीक्षण उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

8. यदि प्रस्तावित खान वन सीम से 100 मीटर की परिधि में अवस्थित है तो खान विभाग द्वारा खनन कार्य की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित को कि खननकर्ता द्वारा वन सीमा की ओर वाली खान की सीमा पर पक्की दीवार का निर्माण व अन्य शर्त के पालना करने के बाद ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जावे।

9. वन एवं ईको सेन्सिटिव जोन क्षेत्र की परिधि में वन विभाग द्वारा खान विभाग को जारी किये प्रतिवेदनों (अनापत्ति प्रमाण पत्र) पर खान विभाग द्वारा खनन पट्टा नवीनीकरण करने से पूर्व संबधित उप वन संरक्षक द्वारा पुनः सत्यापित करवाया जावे।

10. यह परिपत्र इससे संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन. जी.टी.) एवं उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा समय–समय पर पारित किये जाने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

यह पूर्व मे जारी समस्त दिशा निर्देशों को अतिक्रमित करमे हुए प्रचलित किये जा रहे है।

(बी.प्रवीण)
शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक।
7. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर।
8. समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, वन